

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 29

दायरा तिथि : 01.01.2025

आदेश तिथि : 20-01-2025

प्रार्थीगण :- श्रीमति गीता कुमावत पत्नि दिपकजी जाति कुमावत निवासी भैरु चौक तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. वगैरा

व न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार वाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 20-01-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बा. क्षे) पटवार हल्का दूदनी तहसील वाली के खसरा नंबर 101/770 रकबा 1.3000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी(बा. क्षे) पटवार हल्का दूदनी तहसील वाली के खसरा नंबर 101 रकबा 3.70 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (मुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में भू.अ. निरीक्षक, बेडा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार वाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2025/190 दिनांक 17.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार वाली एवं भू.अ. निरीक्षक बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि आवेदक(खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी खसरा नंबर में आवागमन हेतु वर्तमान में खसरा नंबर 101 में से ही आना जाना करता है।

यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।

यह है कि ग्राम दूदनी(बा. क्षे) में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	101	3.70 हैक्टर	बा. सो.	92x9=828 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह है कि रास्ते के लिए प्रस्तावित भू-भाग में मौजा दूदनी(बा. क्षे) के खसरा नंबर 101 में से 92x9=828 वर्गमीटर वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आयेगी।

5. यह कि प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 300000 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।

6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025 / 29

अनवान गीता कुमावत बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बा. क्षे) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 101/770 रकबा 1.3000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2025/190 दिनांक 17.01.2025 से आवेदित रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट पेश की है। अतः तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता दिया जाना ही न्यायसंगत है।


अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बा. क्षे) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 101/770 रकबा 1.3000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी(बा. क्षे) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 101 रकबा 3.7000 हैक्टर में से 828 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए भू.अ. निरीक्षक, वृत्त बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 300000 /-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
101	3.70 हैक्टर	92x9=828 वर्गमीटर	30	24840x2=49680	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 49680/- (अक्षरे उनपचास हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र ) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



कोर्ट / 2025 / 76-80

प्रतिनिधि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमति गीता कुमावत पति दिपकजी जाति कुमावत निवासी नैस चौक तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. वगैरा को सूचनार्थ।

(दिनेश बिस्नोई)


आर.ए.एस.

सहायक उपखण्ड अधिकारी, पाली

उपखण्ड अधिकारी, बाली

24/01/25

सहायक उपखण्ड अधिकारी, पाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 101/770 क्षेत्रफल : 1.3000 Hectare खाता संख्या : 413 पुराना खाता संख्या : 80

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी सोयम [ 1.3000, 5.20 ]

- 1.) गीता कुमावत पत्नि दीपक कुमावत हिस्सा- 1/4 जाति- कुमावत सा.50-51, नाकोडा भेरू कॉलोनी, भेरू चौक, सुमेरपुर जिला पाली खातेदार
- 2.) प्रकाश पुत्र खिमराज सुदवेसा हिस्सा- 1/4 जाति- कुमावत सा.बी108, पंचवटी 2, राहेजा टाउनशीप, मलाड ईस्ट मुंबई 400097 खातेदार
- 3.) पुष्पा कुमावत पत्नि दिनेश कुमावत हिस्सा- 1/4 जाति- कुमावत सा.50-51, नाकोडा भेरू कॉलोनी, भेरू चौक, सुमेरपुर जिला पाली खातेदार
- 4.) संगीता पत्नि प्रकाश सुद्वेशा हिस्सा- 1/4 जाति- कुमावत सा.बी108, पंचवटी 2, राहेजा टाउनशीप, मलाड ईस्ट मुंबई 400097 खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/एवं सील

14/01/25

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जमाबंदी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय से संपर्क करें। ULPIN no : null

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली